न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –11/2025 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2025/9

1. नरेश पुत्र देवीलाल जाति मीणा
2. मुकेश पुत्र देवीलाल जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम गणेशपुरा कलां तहसील चेचट जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट उनवान सरकार बनाम नरेश वगै0 मि0नं0 268/24 निर्णय दिनांक 27.11.2024

उपस्थिति

1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 28.04.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट ने ग्राम गुमानपुरा की भूमि सिवायचक के खसरा नम्बर 204,206 की 0.48 हे0 में अवैध रूप से कब्जा कर फसल सोया बोने की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 268/2024 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 100/– रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 27.11.2024 से अपना निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 21.01.2025 को पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि न्याय एवं संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों तथा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा को संयुक्त रूप से नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम जारी कर तामिल होना बताकर पूर्णत गलत रूप से ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर दोनों अपीलांटान को संयुक्त रूप से दंडित करते हुए सिविल कारावास की सजा पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है जो सर्वथा अवैध होने से निरस्तनीय है । ग्राम गुमानपुरा में अपीलांटान नरेश, मुकेश, अनोखबाई, मालतीबाई एवं संतोषबाई के सम्मिलित खाते की खसरा नम्बर 206/438 की 0.32 हे0 कृषि भूमि स्थित है, जिसके सहारे ही हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 204 व 206 की 0.48 हे0 बंजड बीड किस्म की भूमि पर बिना किसी पैमायश रिपोर्ट केवल अपीलान्टान को ही

संयुक्त रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताकर उक्त भूमि से बेदखली बाबत पूर्व पारित निर्णय प्रतिलिपि बेदखलीनामा तथा हल्का पटवारी के हल्फया बयान के बिना ही अपीलांटान को जवाबदेही हेतु विधिवत नोटिस भी तामिल न करवाकर पूर्णतः गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर दोनों अपीलांटान को संयुक्त रूप से एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंण्डित करते हुए गिरफतारी वारंट जारी करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के भी सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट को हल्का पटवारी द्वारा पूर्व में कभी भी मौके पर पैमायश करके नाजायज कब्जा होना भी नहीं बताया गया है और न ही पूर्व में कभी बेदखल ही किया गया है । अपीलांट मौके पर उनके खाते की भूमि की सही पैमायश कर हदबंदी करने पर तत्काल ही अतिक्रमित भूमि पाये जाने पर कब्जा हटाये जाने को तत्पर है । अपीलांट द्वारा आरोपित जुर्माना राशि तथा फसल नीलामी राशि भी जमा करवा दी गई है तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित निर्णय आर बी जे 2001 पेज 401 के अनुकरणीय निर्णयानुसार अपीलाधीन निर्णय व दंडादेश निरस्त किया जाना न्यायसंगत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय की पालना में जारी गिरफतारी वारंट पुलिस थाना चेचट द्वारा अपीलान्ट को गांव में तलाश करने की सूचना जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में जानकारी मिलने पर प्रार्थीगण द्वारा तुरंत दिनांक 10.01.2025 को तहसील चेचट में जर्ये वकील मालुमात कर आवेदन करने पर दिनांक 15.01.2025 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर प्रथम जानकारी होने पर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व दण्डादेश निरस्त कर वादग्रस्त भूमि की मौके पर पैमायश करवाकर पुनः निर्णित करने हेतु रिमाण्ड फरमाई जावें ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम गुमानपुरा की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 204,206 की रकबा 0.48 हे0 पर नाजायज कब्जा कर फसल सोयाबीन की बुवाई की हुई है । अतिक्रमी को गत वर्ष संवत 2080 में भी बेदखल किया गया था । अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है । अपील अस्वीकार योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम गुमानपुरा की भूमि सिवायचक खसरा नम्बर 204,206 की रकबा 0.48 हे0 में अतिक्रमण करने पर पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरूद्व धरा 91 की कार्यवाही करते हुए 100/– की शास्ति एवं बेदखली के आदेश दिनांक 27.11.2025 को पारित किये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 21.01.2025 को लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है, जो अन्दर मियाद नहीं है तथा अपील विलम्ब से पेश करने के ठोस आधार नहीं है किन्तु अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना है इस हेतु यदि कोई विलम्ब भी हुआ है तो वह मायने नहीं रखता है । मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि नरेश, मुकेश आत्मज देवीलाल जाति मीणा निवासी गणेशपुरा कलां द्वारा संवत 2081 में ग्राम गुमानपुरा की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 396 की रकबा 0.25 हे0 किस्म बंजड बीड पर अतिक्रमण कर फसल सोयाबीन बोया हुआ है तथा इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई करते हुए उसे बेदखली के आदेश करते हुए 100/– रूपये शास्ति तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

7. अपीलान्ट ने विवादित आराजी कब्जा नहीं होना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो अथवा कब्जा नहीं हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे तथा कब्जा हटाने की पुष्टि तहसीलदार चेचट स्वयं कर ले तो इस स्थिति में एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। अपीलांट नियत अवधि में अण्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तथा मौके पर से कब्जा नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार अतिक्रमी अपीलांट को नियमानुसार सिविल कारावास की सजा भुगतायेगा ।

9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा